जोशीराम व अन्य बनाम मोहनलाल व अन्य
प्रकरण संख्या 001/2023

21.02.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी समाप्ति की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि– वादीगण द्वारा उपरोक्त अनवानी वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कृषि भूमि वाके चक 1 सी बड़ी के खाता संख्या 100/75 के मुरब्बा नं0 15 की कुल 1.063 हैक्टेयर में से 0.321 हैक्टेयर नहरी, 0.679 हैक्टेयर बारानी एवं 0.063 हैक्टेयर खाला हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण द्वारा 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित होने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु उपरोक्त अनवानी वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत कृषि भूमि को जरिए पंजीकृत उपहार– पत्र दिनांकित 06.05.2022 के द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 को हस्तान्तरित की जा चुकी है जिसे (उपहार पत्र दिनांक 06.05.2022) को प्रभाव शून्य घोषित किये जाने हेतु सिविल वाद संख्या 62/2023 अनवानी बली बनाम जमना देवी मय स्थगन प्रार्थना पत्र वादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को जरिए पंजीकृत उपहार–पत्र के माध्यम से कय कर ली गई है जिसे बिना सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नहीं है अर्थात श्रीमान न्यायालय द्वारा उपरोक्त अनवानी वाद पत्र में कोई भी अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। विधि अनुसार आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये जाते समय केवल मात्र वाद पत्र में अंकित अभिकथनों का विचारण कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है जिस हेतु किसी भी प्रकार की साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेजों के विचारण किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उपरोक्तानुसार वादीगण का वाद पत्र विधि द्वारा बाधित होने के कारण इसी स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 01 के जीवनकाल में उसके नाम दर्ज खाता संख्या 52/49 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नं0 1 ता 13 की कुल 3.188 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा वादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा वाद संख्या 184/2013 अनवानी जोशीराम आदि बनाम मोहन लाल आदि प्रस्तुत कर राजीनामा के आधार पर श्रीमान न्यायालय से दिनांक 10.09.2015 को डिकी प्राप्त कर ली गयी है। इस आधार पर भी वादीगण प्रश्नगत भूमि में विधि अनुसार कोई हक व अधिकार नहीं रखते है अर्थात वाद पत्र प्राथमिक रूप से ही निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र उपरोक्त वर्णित आधारों पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब बहस मे कथन किए कि– वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चक 1 सी बड़ी के खाता संख्या– 100/75 के मुरब्बा नम्बर–15 की कुल 1.063 हैक्टेयर में से 0.321 हैक्टेयर नहरी 0.679 हैक्टेयर बारानी एवं 0.063 हैक्टेयर खाला हेतु एक वाद प्रस्तुत किया है। वादी संख्या 01 के दादा रामचंद्र पुत्र श्री [illegible] भारत सरकार द्वारा चक 1 सी बड़ी में 12½ बीघा रकबा अलाट किया [illegible] तथा उसमें वादी संख्या 01 के पिता मोहन लाल को रकबा प्राप्त हुआ था उसे [illegible] का उपहार करने का कोई अधिकार नहीं था तथा वादी संख्या 01 का पिता [illegible] लाल शराब व नशा करने का आदि था तथा प्रतिवादी संख्या 02 ने उसे जाल में [illegible] रखा था उसके द्वारा [illegible] तथ्यों के आधार पर कोई दस्तावेज बना लिया है तो [illegible] नन वादी के अधिकारों पर बेअसर है वादी द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है जिसे सुनने का अधिकार जनाबवाला को है। वादी अपने अधिकारों की घोषणा के लिए राजस्व न्यायालय में ही वाद प्रस्तुत कर सकता है जो वाद प्रस्तुत किया गया है बिल्कुल सही किया गया है तथा दावा सुनने का अधिकार जनाबवाला को है। प्रतिवादी द्वारा अभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:12:41 IST
Reason: SelfAttested

तक कोई प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी को इस सम्बन्ध में कोई भी ऐतराज है तो वह अपना जवाब दावा में प्रस्तुत कर सकता है इस स्टेज पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है तथा पूर्व में जो वाद 184/2013 जोशीराम बनाम मोहन लाल प्रस्तुत किया गया था उसमें केवल राजीनामें के आधार पर निर्णय किया गया था उस दावे का इस दावे पर कोई प्रभाव नहीं है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित करना कि वादी द्वारा सिविल कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर रखा है प्रतिवादी द्वारा सिविल कोर्ट में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि सिविल न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार नहीं है बल्कि राजस्व न्यायालय को है। जब प्रतिवादी खुद राजस्व न्यायालय का वाद होना बताया जा रहा है तो इस आधार पर ही प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा वाद का जवाब पेश नहीं किया जो भी ऐतराज है वह अपने जवाब दावा में उठा सकते है। इस स्टेज पर प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कवर नहीं होता इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रतिवादी मोहन लाल का स्वर्गवास हो गया है उसका कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जब तक उसके कायम मुकाम नहीं बनाये जाते तब तक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का नहीं लगाया जा सकता। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2021(2) DNJ (Rev.) 887, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2021(2) DNJ (Rev.) 1401, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2021(1) DNJ (Rev.) 694, पेश किये। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर के निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 02 का प्रार्थना पत्र आदेशं 7 नियम 11 सीपीसी का मय खर्चा खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के निस्तारण मे केवल वादपत्र पढा जाता है एवं वाद पत्र के कथनो की सही अभिधारणा कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट होता है प्रश्नगत कृषि भूमि को जरिये पंजीकृत उपहार–पत्र दिनांकित 06.05.2022 के द्वारा हस्तान्तरित की जा चुकी है एवं उपहार पत्र को प्रभाव शुन्य घोषित किये जाने हेतु सिविल वाद संख्या 62/2023 अनवानी बली बनाम जमनादेवी मय स्थगन प्रार्थना पत्र वादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। अतः उक्त वाद के निस्तारण पश्चात ही अधिकारों की घोषणा बाबत वाद न्यायालय में जैरकार रहना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। ऐसी स्थिती में अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रार्थना पत्र पर चस्पा नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र संख्या 01/2023 अनवान जोशीराम व अन्य बनाम मोहनलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आरटीए वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्तीबद्ध हो। पत्रावली दायरा पंजिका के क्रम से कम की जाकर निर्णय की सूची में शामिल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:12:41 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर